

न्यायालय-द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 बालाघाट(म.प्र.)
(पीठासीन अधिकारी-सचिन खोतिषी)

व्य.वाद क्रमांक- 18ए/2012
संस्थित दिनांक - 14.7.2011
फाईलिंग नं.-234501027192011

लक्ष्मण वल्द भाई जी उम्र 70 साल निवासी ग्राम
बिसोनी तहसील लांजी जिला बालाघाट

वादीगण

-: विरुद्ध :-

- 1- मानिकचंद पिता दुलीचंद उम्र 55 साल
- 2-भूमेश्वर पिता दुलीचंद उम्र 50 साल "मृत"
द्वारा विधिक प्रतिनिधिगण :-
- 2अ-रामदुलारी विधवा भूमेश्वर उम्र 45 साल
- 2ब-रोशनी पिता भूमेश्वर उम्र 21 साल
- 2स-पुनीता, पिता भूमेश्वर उम्र 19 साल
- 2द-पुरुषोत्तम पिता भूमेश्वर उम्र 17 साल
- 2ई-सुदर्शन पिता भूमेश्वर उम्र 15 साल
- दोनों नाबालिक द्वारा
- वली मां रामदुलारी विधवा भूमेश्वर
- 3-नेमीचंद पिता दुलीचंद उम्र 43 साल
- 4-कुबेरचंद पिता दुलीचंद उम्र 38 साल
- 5-गोरख पिता दुलीचंद उम्र 35 साल
- 6-निलेश्वरीबाई उम्र 65 साल पति दुलीचंद
- 7-मोहनलाल उम्र 65 साल पिता मनराखन
- 8-खेमचंद उम्र 55 साल पिता मनराखन
- 9-नेहरू उम्र 50 साल पिता मनराखन
- सभी निवासी ग्राम बिसोनी तहसील लांजी
- 10-मध्यप्रदेश राज्य द्वारा कलेक्टर बालाघाट

प्रतिवादीगण

-निर्णय-

(आज दिनांक 18/04/2016 को घोषित)

- 1- यह वाद ग्राम घोट्टी प0ह0नं0 20, रा0नि0मं0 लांजी स्थित कृषि भूमि ख0नं0 72/1 रकबा 5.12 एकड़ तथा ख0नं0 72/3 रकबा 0.12 एकड़ भूमि के सम्बंध में प्रतिवादीगण के साथ वादी के संयुक्त स्वामित्व एवं आधिपत्य होने तथा वादी का उक्त वर्णित भूमि में 1/3 हिस्सा होने की घोषणा तथा भूमि का अन्य अंतरण न किये जाने सम्बंधी स्थायी निषेधाज्ञा हेतु प्रस्तुत किया गया है।
- 2- यह अविवादित है कि, वादी लक्ष्मण के अन्य दो भाई दुलीचंद तथा मनराखन थे, उक्त दोनों भाईयों की मृत्यु हो चुकी है। प्रति0कं-1 से 5 स्व0

दुलीचंद के पुत्र हैं। प्रति0कं0-6 दुलीचंद की पत्नि है तथा प्रति0कं0-7 से 9 स्व0 मनराखन के पुत्र हैं। प्रति0कं0-2 भूमेश्वर की मृत्यु वाद लम्बनकाल में हुई है। रामदुलारी, रोशनी, पुनिता, पुरुषोत्तम तथा सुदर्शन उक्त प्रति0कं0-2 के विधिक प्रतिनिधिगण हैं। वादी सहित उसके अन्य दो भाईयों दुलीचंद तथा मनराखन के संयुक्त स्वत्व एवं आधिपत्य की ग्राम बिसोनी, घोटी तथा लांजी में भूमियां रही हैं। यह भी अविवादित है कि, विवादित भूमि पर शासकीय ऋण होने के कारण उसके सम्बंध में ऋण राशि वसूली सम्बंधी राजस्व प्रकरण क्रमांक-62अ/78 निराकृत हुआ है। विवादित भूमि पर शासकीय स्कूल का निर्माण प्रारम्भ होने पर उक्त भूमि के सम्बंध में स्वत्व घोषणा तथा स्थायी निषेधाज्ञा हेतु, प्रति0कं0-1 द्वारा व्य0वाद कं0-12अ/08 प्रस्तुत किया गया था, जो निरस्त कर दिया गया था। इसके विरुद्ध प्रति0कं0-1 द्वारा व्यवहार अपील क्रमांक-16-अ/09 पक्षकार मानिकचंद विरुद्ध सरपंच व अन्य प्रस्तुत की गई थी, जो कि स्वीकार की गई थी। उक्त व्यवहार वाद तथा अपील में वादी तथा प्रति0कं0-1 के अतिरिक्त अन्य प्रतिवादीगण पक्षकार नहीं थे। यह भी अविवादित है कि, विवादित भूमि के राजस्व अभिलेखों में वर्तमान में प्रति0कं0-1 से 6 का नाम शामिल शरीक अंकित है।

3- वादपत्र का सार यह है कि, वादी तथा उसके भाई स्व0 दुलीचंद एवं मनराखन के नाम पर ख0नं0 72/1 रकबा 5.61 डिसमिल भूमि राजस्व प्रलेखों में दर्ज रही है, जिस पर उनके द्वारा शामिल शरीक कृषि की जाती रही है। दुलीचंद तथा मनराखन की मृत्यु के बाद वादी तथा प्रतिवादीगण शामिल शरीक कास्त करते चले आ रहे हैं। इस भूमि को वादपत्रीय मानचित्र में दर्शाया गया है। प्रति0कं0-1 से 6 के पिता दुलीचंद ने लांजी स्थित शामिल शरीक भूमि ख0नं0-31/1क में से 0.10 डिसमिल भूमि दिनांक 06/05/1989 को परसराम लोधी को तथा दिनांक 17/08/95 को इन्द्राबाई लोधी को, इसी प्रकार पुनः दिनांक 23/04/1999 को इन्द्राबाई को सवा दो डिसमिल भूमि तथा दिनांक 23/09/1988 को 0.03 डिसमिल भूमि विक्रय की गई है जो गलत है। वादी तथा उसके भाई स्व0 दुलीचंद एवं मनराखन ने संयुक्त रूप से, ग्राम घोटी स्थित भूमि ख0नं0 72 रकबा 5.61 एकड़ भूमि पंजीयत विक्रय पत्र दिनांक 08/05/1967 के माध्यम से पूर्व स्वामी मेहमूदा बेगम से क्रय कर स्वत्व एवं आधिपत्य प्राप्त किया था। उक्त भूमि का वर्तमान ख0नं0 72/1 है। भूमि क्रय किये जाने पश्चात तीनों भाईयो का नाम अभिलेखों में दर्ज रहा है तथा वे शामिल शरीक कृषि करते आ रहे हैं। वादी का उक्त भूमि पर बेरोक-टोक कब्जा है।

4- विक्रेता मेहमूदा बेगम तथा ग्राम बिसोनी के कई अन्य लोगों पर पूर्व शासकीय ऋण था। इस बात की जानकारी मेहमूदा बेगम द्वारा क्रेतागण अर्थात् वादी तथा उसके भाईयों को नहीं दी गई थी। उक्त ऋण की अदायगी न होने पर रा0प्र0कं0-62अ/78 वर्ष 1966-67 सेवा सहकारी समिति मर्यादित बिसोनी द्वारा दर्ज करवाया गया था। उक्त प्रकरण में दिनांक 15/04/1982 को तहसीलदार ने आदेश पारित कर भूमि कुर्क कर ली तथा राजस्व अभिलेख में भूमि का शासकीय भूमि दर्ज कर दिया गया। जबकि कब्जा वादी तथा उसके भाईयों का बना रहा।

ऐसी स्थिति में कॉलम नं.-12 में वादी तथा उसके भाईयों दुलीचंद तथा मनराखन का नाम दर्ज रहा। वादी तथा उसके भाईयों को ऋण वसूली के सम्बंध में चल रहे, प्रकरण की जानकारी भी प्रारम्भ से नहीं थी। ऋण अदा न होने पर म0प्र0 शासन द्वारा वाद पत्र में उल्लेखित भूमि में से एक एकड़ भूमि कुर्क कर ली गई थी और उक्त भूमि की नीलामी किया जाना तय किया गया था। उक्त वर्णित परिस्थितियों में वादी तथा प्रतिवादीगण के पिता अर्थात् उसके भाई दुलीचंद एवं मनराखन ने मुख्यमंत्री को शिकायत की थी, जिस पर संज्ञान लेते हुए, कलेक्टर बालाघाट को जांच किये जाने के लिये निर्देशित किया गया था तथा यह भी निर्देशित किया गया था कि, नीलामी में भूमि के कंतागण को प्राथमिकता देकर राशि प्राप्त कर भूमि पर कब्जा के आधार पर कंताओं का नाम विधिवत दर्ज किया जावे।

5- तहसीलदार लांजी द्वारा भूमि ख0नं0 72/1 तथा 72/3 रकबा क्रमशः 5.12 एकड़ तथा 0.12 एकड़ की नीलामी की गई जिसमें वादी और उसके भाईयों को प्राथमिकता दी गई। तीनों ने पुनः उक्त ख0नं0 वाली जमीन को, दिनांक 30/09/1982 को नीलामी राशि 851/-रुपये अदा कर क्रय किया, जिसकी रसीद दुलीचंद व अन्य दो के नाम जारी की गई, किन्तु फिर भी राजस्व अभिलेखों में म0प्र0शासन का नाम चला आया जिस पर वादी तथा प्रतिवादीगण के पिता द्वारा कलेक्टर को की गई, कलेक्टर द्वारा तहसीलदार लांजी को रिकार्ड दुरुस्ती हेतु निर्देशित किया गया। जिस पर न्यायालयीन प्रकरण तहसील में विचाराधीन था। प्रति0कं-1 ने वादी तथा अन्य प्रतिवादीगण को बिना जानकारी दिये तथा बिना पक्षकार बनाये कपटपूर्वक न्यायालय चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 बालाघाट के न्यायालय में स्वत्व उदघोषणा तथा स्थायी निषेधाज्ञा हेतु व्य0वाद क्रमांक 12-अ/08 प्रस्तुत कर दिया। जबकि उसे इस बात का ज्ञान था कि, भूमि वादी तथा मनराखन एवं दुलीचंद द्वारा संयुक्त रूप से क्रय की गई है, जिस पर सभी का कब्जा भी चला आ रहा है। उक्त वर्णित भूमि का कोई बटवारा नहीं हुआ है। व्य0वाद क्रमांक 12-अ/08 निरस्त हो गया था। प्रति0कं0-1 ने उसकी अपील की थी। अपील में भी वादी तथा अन्य प्रतिवादीगण को पक्षकार नहीं बनाया था और स्वयं को कपटपूर्वक एकमात्र स्वत्वधारी बताकर डिकी प्राप्त कर लिया है।

6- उक्त डिकी के आधार पर प्रति0कं0-1 का नाम दर्ज किये जाने का आदेश पारित होने पर वादी को डिकी के सम्बंध में जानकारी हुई है। प्रतिवादी कं-1 द्वारा वादी को धमकी दी जा रही है कि, वादी अपना कब्जा हटा ले तथा यह कि प्रति0कं0-1 अन्यत्र किसी व्यक्ति को भूमि बेचना चाहता है। वाद कारण दिनांक 30/06/2011 को तब उत्पन्न होना बताया गया है जबकि प्रति0कं0-1 का नाम दर्ज किये जाने के आदेश हुए हैं। वादी के पास म0प्र0 कृषक जोत उच्चतम सीमा अधिनियम में नियत सीमा से अधिक भूमि नहीं है। विवादित भूमि ख0नं0 72/1 तथा 72/3 में वादी का हिस्सा है व्य0अपील कं0-16-अ/09 पक्षकार मानिकचंद विरुद्ध सरपंच व अन्य से पारित डिकी व निर्णय दिनांक 16/02/2010 तथा उस पर आधारित नामांतरण प्रकरण क्रमांक 34अ-06/

09-10 में पारित नामांतरण आदेश दिनांक 30/09/2010 वादी पर बंधनकारी नहीं है। वादी तथा उसके भाई स्व० दुलीचंद एवं स्व० मनराखन के वारसान अर्थात् प्रतिवादीगण राजस्व अभिलेखों में संसोधन करवा कर अपना नाम दर्ज करवापाने के अधिकारी हैं। अतः यह घोषित किया जावे कि, विवादित भूमि वादी तथा प्रतिवादीगण के पिता स्व० मनराखन तथा स्व० दुलीचंद के द्वारा कय की गई है तथा उक्त भूमि वादी तथा प्रतिवादीगण के संयुक्त मालिकी व कब्जे की भूमि है। साथ ही यह स्थायी निषेधाज्ञा जारी की जावे कि, विवादित भूमि प्रतिवादीगण द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को हस्तांतरित या विक्रय न की जावे।

7- प्रति०क्र०-1 से 6 एवं 8 ने अपने लिखित कथन में वादपत्रीय अभिवचनों को कंडिकावार अस्वीकार करते हुए, यह अभिवचन किये हैं कि, विवादित भूमि पर प्रति०क्र०-1 से 6 का उनके पिता स्व० दुलीचंद के साथ वर्ष 1981-82 से लगातार शांतिपूर्ण स्वत्व एवं आधिपत्य है, जिसकी जानकारी वादी लक्ष्मण तथा भाई मनराखन व उनके वारसानों को पूर्व से है। क्योंकि विवादित भूमि को दुलीचंद द्वारा दिनांक 30/09/1982 को नीलाम राशि 851/- रुपये अदा करके कोर्ट के माध्यम से कय कर कब्जा प्राप्त किया है। इस सम्बंध में प्रति०क्र०-1 द्वारा व्य०वाद क्रमांक 12-अ/08 प्रस्तुत किया गया था, जो निरस्त हो जाने पर उसकी अपील क्रमांक 16-अ/09 की गई थी। जो दिनांक 16/02/2010 को स्वीकार की गई है तथा विवादित भूमि पर प्रतिवादीगण का स्वत्व एवं आधिपत्य घोषित किया गया है और शासकीय स्कूल के निर्माण को हटाने के लिये आदेशात्मक निषेधाज्ञा भी प्रदान की गई है, जिसकी जानकारी वादी को पूर्व से है। इसलिये निर्णय एवं डिक्री वादी पर बंधनकारी है।

8- वर्ष 1981-82 में विवादित भूमि पर शासन का नाम दर्ज हो जाने के बाद वादी ने आज तक स्वयं का स्वत्व एवं आधिपत्य प्रमाणित करने के सम्बंध में और शासन द्वारा किये जा रहे अवैध स्कूल निर्माण को रोकने के सम्बंध में जानकारी होने के बाद भी कोई कार्यवाही नहीं की है। इस सम्बंध में वादपत्र में भी स्पष्ट उल्लेख नहीं है क्योंकि, वादी तथा स्व० मनराखन को इस बात की जानकारी थी कि, भूमि नीलामी में एकमात्र रूप से दुलीचंद द्वारा कय की गई है। वादी एवं प्रति०क्र०-7 एवं 9 ने वर्ष 1981-82 के पूर्व के पटवारी रिकार्ड का अनुचित फायदा उठाने की दुर्भावना से आपस में कुसंयोजन कर करीब 25-30 वर्ष बाद अवधि बाह्य कपटपूर्ण वाद प्रस्तुत किया है। वादी को इस बात की भी जानकारी थी कि, प्रति०क्र०-1 ने व्यवहार वाद में स्कूल निर्माण को रोकने के सम्बंध में प्रस्तुत किया है। वाद के दौरान वादी तथा प्रति०क्र०-7, 8 एवं 9 ने कोई आपत्ति नहीं की और नही स्वयं द्वारा कोई कार्यवाही की गई। प्रति०क्र०-1 द्वारा अपना अधिकार सिविल वाद के माध्यम से प्रमाणित करने के बाद दुर्भावनापूर्वक व्यवहार वाद के निर्णय एवं डिक्री को प्रभावित करने के लिये यह वाद प्रस्तुत किया है। वर्ष 1981-82 में नीलामी में दुलीचंद द्वारा भूमि कय किये जाने के बाद वादी तथा स्व० मनराखन का अधिकार समाप्त हो चुका है। वर्तमान में विवादित भूमि 1981-82 से प्रति०क्र०-1 से 6 के कब्जे में है। वर्ष 1981-82 से वादी तथा मनराखन का नाम कभी दर्ज

नहीं रहा है। फिर भी उनके द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई है। व्यवहार न्यायालय के निर्णय एवं डिक्री के अनुसार प्रति0क्रं0-1 से 6 का नाम रिकार्ड में दर्ज चला आ रहा है। वाद विबंधन के सिद्धांत से भी बाधित है। वाद बिना अधिकार के प्रस्तुत किया गया है। अतः प्रतिकारात्मक व्यय सहित निरस्त किया जावे। वादी ने विवादित भूमि पर स्थित हाईस्कूल के सम्बंध में कोई अभिवचन नहीं किये है, स्कूल की वास्तविक स्थिति को छुपाया गया है तथा स्कूल के सम्बंध में मुल्यांकन भी नहीं किया गया है, अतः पर्याप्त मुल्यांकन के अभाव में वाद निरस्तनीय है। वैसे भी वादी के द्वारा पूर्व में अपने भाईयों के साथ की गई आपसी पारिवारिक व्यवस्था को लम्बे समय के बाद चुनौती देने का अधिकार नहीं है। वादी के सगे दो भाई दुलीचंद तथा मनराखन की मृत्यु हो चुकी है। पारिवारिक व्यवस्था के आधार पर वादी तथा उसके भाई करीब 30-40 वर्षों से अपने-अपने हिस्से में अलग-अलग काबिज कास्त रहे हैं तथा उनका अलग-अलग रहना हो रहा है। पटवारी रिकार्ड में ग्राम बिसोनी, लांजी तथा घोटी की भूमि में वादी तथा उसके भाईयों स्व0 दुलीचंद तथा स्व0 मनराखन का नाम मात्र संयुक्त रूप से दर्ज रह गया है, उसके बावजूद वादी द्वारा शामिल शरीक भूमियों में से अपने हिस्से की भूमि ख0नं0 20/1 रकबा 2.222 है0 में से 20 डिसमिल भूमि किसानलाल व अन्य को तथा 0.04 ¹/₂ भूमि श्रीमति गीता सोनवाने को रजिस्टर्ड विक्रय कर दी गई है। वर्तमान में वादी तथा प्रति0क्रं0-7 व 9 संयुक्त नाम की अनुचित फायदा उठाने प्रयासरत हैं।

9— वास्तव में वादग्रस्त भूमि आपसी भाई बटवारा में प्रति0क्रं0-1 से 6 के पिता दुलीचंद को दिनांक 06/06/1987 को प्राप्त हुई है, जिसके सम्बंध में ग्राम के सम्मानित व्यक्तियों की उपस्थिति में वादी तथा स्व0 दुलीचंद एवं स्व0 मनराखन द्वारा दिनांक 06/06/1987 को साठ रुपये के स्टाम्प एवं अन्य कागजों पर आपसी बटवारा पत्र का निष्पादन हुआ है। जिसमें कर्ज की अदायगी हेतु तथा न्यायालयीन केस लडके के सम्बंध में विवादित भूमि के अलावा अन्य भूमियों की भी लिखापट्टी हुई है। जिसमें वादी तथा उसके भाईयों और गवाहों ने दस्तखत किये हैं। उक्त बटवारा पत्र वादी पर बंधनकारी है किन्तु वास्तविक तथ्यों को छिपाते हुए प्रति0क्रं0-1 से 6 को परेशान करने के लिये वाद प्रस्तुत किया गया है। वादी को चाहिए था कि, वह अपने भाई स्व0 दुलीचंद तथा स्व0 मनराखन के जीवनकाल में ग्राम बिसोनी, लांजी तथा घोटी की सम्पूर्ण जमीनों का बराबर हिस्सा बटवारा करवाने के लिये पारिवारिक व्यवस्था को चुनौती देता, किन्तु ऐसा न करके वादी द्वारा दुलीचंद के देहांत के बाद प्रति0क्रं0-1 से 6 के कब्जे व मालिकी के सम्बंध में वास्तविक तथ्यों को छिपाकर यह आधा अधूरा वाद प्रस्तुत किया गया है जो निरस्तनीय है।

10— प्रति0क्रं0-7 की ओर से प्रस्तुत लिखित कथन का सार यह है कि, भूमि ख0नं0 72/1 वादी तथा स्व0 दुलीचंद एवं मनराखन द्वारा दिनांक 8.5.1967 को मेहमूदा बेगम से क्रय की गई थी, जिस पर तीनों भाईयों का नाम भी अभिलेख में दर्ज हुआ था किन्तु विक्रेता पर सहकारी समिति का ऋण बकाया होने से उसके

विरुद्ध सहकारी समिति द्वारा रा0प्र0कं0 62अ-78/66-67 प्रस्तुत किया गया था। जिसमें एक एकड़ भूमि कुर्क कर सम्पूर्ण भूमि शासकीय मद में दर्ज कर ली गई थी किन्तु कॉलम नं0-12 में तीनों भाईयों का नाम दर्ज चला आ रहा था। दिनांक 30/09/1982 को कुर्कशुदा 5.12 एकड़ का नीलाम किया गया था। नीलामी में तीनों भाईयों ने नीलाम राशि 851/- रुपये अदा कर जमीन क़य की थी किन्तु रसीद दुलीचंद वगैरह के नाम से काटी गई थी, इस तरह सम्पूर्ण भूमि वादी, दुलीचंद तथा मनराखन की शामिल शरीक भूमि थी और आज भी है। सन 1985 में वादी लक्ष्मण, स्व0 दुलीचंद तथा स्व0 मनराखन के एक-एक लडके का विवाह हुआ था तब विवादित 5.12 एकड़ में से 2 एकड़ भूमि टेंगनी के राजपूत का विक्रय करने का सौदा तीनों भाईयों ने किया था किन्तु शासन का नाम दर्ज होने से रजिस्ट्री नहीं हो सकी थी।

11- विक्रय की सम्पूर्ण राशि तीनों भाईयों ने प्राप्त कर विवाह में खर्च कर ली थी। ऐसी स्थिति में लक्ष्मण एवं मनराखन की सहमति से दुलीचंद ने, लांजी पेट्रोल पम्प के पीछे स्थित अपने हिस्से व मालिकी की भूमि को टेंगनी के राजपूत को विक्रय कर दिया था, जिसके एवज में मनराखन एवं लक्ष्मण घोंटी की दो एकड़ भूमि दुलीचंद को दे दी थी। घोंटी की 5.12 एकड़ भूमि का तीनों के बीच बटवारा हो चुका है जिसमें प्रत्येक भाई को एक-एक एकड़ तथा दुलीचंद को पेट्रोल पम्प वाले भूखण्ड के बदले दो एकड़ भूमि इस तरह कुल तीन एकड़ भूमि प्राप्त हुई थी, जिस पर सभी अपने जीवनकाल तक काबिज रहे तथा उनके बाद उनके वारसान काबिज हैं। उक्त भूमि का बटवारा हो जाने के बाद भी तीनों भाईयों का नाम शामिल शरीक दर्ज है। प्रति0कं0-1 ने कोई वाद प्रस्तुत कर सम्पूर्ण भूमियों पर स्वयं का नाम दर्ज करवा लिया है जो अनुचित है तथा अन्य खातेदारों पर बंधनकारी नहीं है क्योंकि उन्हें सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया गया है। मनराखन के पुत्रों के बीच दिनांक 26/04/2004 को हुए आपसी बटवारा के मुताबिक ख0नं0 72/1 में मनराखन के हिस्से की भूमि की कर्ज अदायगी हेतु रखा गया है। उक्त एक एकड़ भूमि को 32 हजार रुपये प्रति एकड़ के भाव से खरीदने का सौदा दिनांक 23/02/2005 को प्रति0कं0-1 द्वारा किया गया था, किन्तु सौदे की राशि अदा नहीं की गई, जिस पर दिनांक 27/06/2009 को ग्राम बिसौनी में उभयपक्ष द्वारा मीटिंग रखी गई, जिसमें प्रति0कं0-1 द्वारा गणमान्य लोगों के समक्ष तीस हजार रुपये स्व0 मनराखन के तीनों पुत्रों को कर्ज अदायगी हेतु देना स्वीकार किया गया था। इस सम्बंध में लिखित दस्तावेज भी तैयार किया गया था।

12- उक्त राशि जून 2011 तक अदा नहीं की गई तब प्रति0कं0-1 द्वारा दिनांक 11/06/12 को मोहनलाल के पक्ष में सहमति पत्र निष्पादित किया गया और यह वचन दिया गया कि, जून 2011 तक राशि नहीं देने पर हीरोला की भूमि में से 0.03 डिसमिल भूमि वह मोहनलाल को देगा। उभयपक्ष के मध्य सम्पूर्ण पैतृक सम्पत्ति का बटवारा हो चुका है तथा सभी ने अपने-अपने हिस्से की भूमियां विक्रय की है। नीलामी रसीद में मात्र दुलीचंद वगैरह लिखा होने के कारण प्रति0कं0-1 ने

न्यायालय को गुमराह कर गलत फायदा उठाया है जबकि, विवादित भूमि पर वर्तमान में भी लक्ष्मण का एक एकड़ में मनराखन के वारसानों का एक एकड़ में तथा दुलीचंद के वारसानों का तीन एकड़ पर लगातार कब्जा है। ऐसी स्थिति में वास्तविकता को उजागर करना कुसंयोजन या दुरभिसंधि की श्रेणी में नहीं आता है। अतः वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद उक्त आधारों पर प्रतिवादी क्रं0-7 के विरुद्ध निरस्तनीय है।

13— प्रति0क्रं0-9 की ओर से प्रस्तुत लिखित कथन का सार यह है कि, वाद में दर्शित खानदानी सिजरा अपूर्ण है। वादी द्वारा ख0नं0 72/1 का अलग-अलग कंडिका में अलग-अलग रकबा बताया गया है। वादी द्वारा जैसा वाद प्रस्तुत किया जाना था, प्रस्तुत नहीं किया गया है। वाद में आवश्यक पक्षकार तथा त्रुटियों का सुधार आवश्यक है, जिसके अभाव में वाद अपोषणीय हो जायेगा। अतः प्रति0क्रं0-9 को प्रतिकारात्मक व्यय दिलाते हुए, वाद खारिज किया जावे।

14— उभयपक्षों के अभिवचनों तथा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर, वाद के सम्यक् निराकरण के लिए निम्नांकित वादप्रश्न विरचित हैं, जिनके निष्कर्ष, साक्ष्यगत विवेचना उपरांत उनके समक्ष अंकित हैं—

क्रं.

वाद प्रश्न

निष्कर्ष

(1)— क्या, ग्राम घोटी, ख0नं0 20, रा.नि.म. लांजी, तहसील लांजी, जिला बालाघाट स्थित ख0नं0 72/1, रकबा 5.61 एकड़ भूमि वादी, प्रति0क्रं0-1 से 5 के पिता व प्रति0क्रं0-6 के पति दुलीचंद तथा प्रति0क्रं0-7 से 9 के पिता मनराखन ने दिनांक 08/05/1967 को मेहमूदा बेगम से संयुक्त रूप से क्रय किया था?

“प्रमाणित”

(2)— क्या, उक्त वादग्रस्त भूमि तथा ख.नं. 72/3, रकबा 0.12 एकड़ भूमि वादी, प्रति0क्रं0-1 से 5 के पिता व प्रति0क्रं0-6 के पति दुलीचंद तथा प्रति0क्रं0-7 से 9 के पिता मनराखन ने दिनांक 30/09/1982 को नीलामी में संयुक्त रूप से क्रय किया था?

“प्रमाणित नहीं”

(3)— क्या, ख0नं0 72/1, रकबा 5.61 एकड़ भूमि का वादी, प्रति0क्रं0-1 से 5 के पिता व प्रति0क्रं0-6 के पति दुलीचंद तथा प्रति0क्रं0-7 से 9 के पिता मनराखन ने दिनांक 06/06/1987 को आपसी बटवारा कर लिया था?

“प्रमाणित नहीं”

- (4)- क्या प्रति0क्रं0-1 वादग्रस्त भूमि को अवैध रूप से अंतरित करने का प्रयत्न कर रहा है? "प्रमाणित नहीं"
- (5)- क्या वाद अवधि में है? "अप्रमाणित"
- (6)- क्या वादमूल्यांकन उचित किया जाकर न्यायालय शुल्क उचित अदा किया गया है? "प्रमाणित"
- (7)- क्या, वादी ने प्रति0क्रं0-1 से 6 के विरुद्ध मिथ्या आधारों पर दुर्भावनावश वाद प्रस्तुत किया है, जिसके कारण वे प्रतिकारात्मक व्यय प्राप्त करने के अधिकारी हैं? "अप्रमाणित"
- (8)- क्या व्यवहार अपील क्रमांक 16अ/09 मानिकचंद बनाम सरपंच व अन्य की आज्ञाप्ति दिनांक 16.2.2010 एवं उसके आधार पर नायब तहसीलदार लांजी द्वारा राजस्व प्रकरण क्रमांक 34-अ-6/09-10 में पारित आदेश दिनांक 30.9.2010 अवैध एवं शून्य है ? "प्रमाणित नहीं"
- (9)- अनुतोष एवं व्यय? "निर्णय पैरा-52 के अनुसार वाद खारिज"

:- वाद प्रश्न क्रमांक 1 की विवेचना एवं निष्कर्ष :-

15- वादी द्वारा स्वयं के पक्ष समर्थन में अपने पुत्र मुख्तार केशोराव कर्राहे (वा0सा0-1), तानाराम (वा0सा0-2), दोशनलाल (वा0सा0-3) के शपथ पत्रीय मुख्य परीक्षण प्रस्तुत किये हैं तथा उन्हें प्रतिपरीक्षण हेतु भी उपस्थित कराया गया है। वादी ने स्वयं का शपथ पत्रीय मुख्य परीक्षण द्वारा मुख्तारखास प्रस्तुत किया है किन्तु वह स्वयं प्रतिपरीक्षण हेतु उपस्थित नहीं हुआ है। ऐसी स्थिति में उसके स्वयं के शपथपत्रीय मुख्य परीक्षण प्रकरण में अवलम्बनीय नहीं होंगे।

16- भले ही प्रति0क्रं0-1 से 6 द्वारा इस कथित तथ्य को लिखित कथन में औपचारिक रूप से अस्वीकार किया गया है कि, विवादित भूमि वादी लक्ष्मण तथा उसके भाई स्व0 दुलीचंद एवं स्व0मनराखन ने पूर्व धारिका मेहमूदा बेगम से दिनांक 08/05/1967 को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के माध्यम से कय किया था किन्तु अवलोकनीय है कि, स्वयं प्रति0क्रं.1 से 6 द्वारा व्यवहार अपील क्रमांक 16अ/2009 में पारित निर्णय दिनांक 16 फरवरी 2010 की प्रति प्र0डी0-21सी प्रस्तुत की है, जिसमें वादी के इस आशय के अभिवचन दर्शित होते हैं कि, विवादित भूमियां प्रति0क्रं0-1 के पिता दुलीचंद, बड़े पिता मनराखन तथा काका लक्ष्मण कर्राहे द्वारा संयुक्त रूप से दिनांक 08/05/1967 को रजिस्टर्ड बैनामा द्वारा मुसम्मात मेहमूदा

बेगम जौजे बाबू मियां से कय कर स्वत्व एवं आधिपत्य प्राप्त किया था।

17— अवलोकनीय है कि, उक्त सम्बंध में केशोराव (वा0सा0-1) द्वारा वादपत्रीय अभिवचनों के अनुरूप ही शमथ पत्रीय मुख्य परीक्षण में भी इस आशय के कथन किये गये हैं कि, विवादित भूमियां मूलतः वादी, स्व0 दुलीचंद तथा स्व0 मनराखन द्वारा संयुक्त रूप से मेहमूदा बेगम से कय की गई थी। मुख्य परीक्षण में उक्तानुसार किये गये कथनों को प्रति0क्रं0-1 से 6 द्वारा प्रतिपरीक्षण में कोई स्पष्ट चुनौती नहीं दी गई है। प्रति0क्रं0-7 ने अपने लिखित कथन में उक्त कथित तथ्य को स्वीकार किया है कि, विवादित भूमि मूलतः वादी दुलीचंद तथा मनराखन द्वारा मिलकर कय की गई है। इस सम्बंध में वादी की ओर से प्रस्तुत विक्रय पत्र प्र0पी0-9 का भी कोई खण्डन प्रति0क्रं0-1 से 6 के द्वारा नहीं किया गया है। उक्त दस्तावेज में बतौर विक्रेता मेहमूदा बेगम का नाम दर्ज है तथा बतौर क्रेतागण दुलीचंद, मनराखन एवं लक्ष्मण का नाम अंकित है। अतः उक्त दस्तावेज भी इस सम्बंध में वादपत्रीय अभिवचनों का समर्थनकारी है कि, विवादित भूमि मूलतः वादी तथा उसके स्व0 भाईयों मनराखन और दुलीचंद द्वारा संयुक्त रूप से कय की गई थी।

18— उक्त वर्णित परिस्थितियों में यह वादपत्रीय अभिवचन अधिसम्भाव्य प्रकट होते हैं कि, ग्राम घोटी, प0ह0नं0 20, रा.नि.म. लांजी, तहसील लांजी, जिला बालाघाट स्थित ख0नं0 72/1, रकबा 5.61 एकड़ भूमि वादी, प्रति0क्रं0-1 से 5 के पिता व प्रति0क्रं0-6 के पिता दुलीचंद तथा प्रति0क्रं0-7 से 9 के पिता मनराखन ने दिनांक 08/05/1967 को मेहमूदा बेगम से संयुक्त रूप से कय किया था। अतः वाद प्रश्न क्रमांक-1 का निष्कर्ष "प्रमाणित" अंकित किया गया।

-: वाद प्रश्न क्रमांक 2 की विवेचना एवं निष्कर्ष :-

19— इस सम्बंध में वादपत्रीय अभिवचन यह है कि, विवादित भूमियों की पूर्व धारिका मेहमूदा बेगम ने भूमि विक्रय करते समय यह नहीं बताया था कि, भूमि पर सहकारी समिति का कोई ऋण बकाया है। बाद में जब ऋण वसूली कार्यवाही तहसीलदार द्वारा प्रारम्भ की गई और विवादित भूमि में से एक एकड़ भूमि कुर्क कर सम्पूर्ण भूमियों को म0प्र0 शासन के नाम पर दर्ज कर दिया गया, तब वादी तथा उसके भाईयों दुलीचंद एवं मनराखन द्वारा मुख्य मंत्री के समक्ष आवेदन प्रेषित कर भूमि की प्रस्तावित नीलामी कार्यवाही को रोकने के प्रयास किये गये। अंततः नीलामी कार्यवाही में उन्हें प्राथमिकता प्रदान की गई। जिस पर तीनों ने नीलामी कार्यवाही में भाग लेकर नीलाम राशि 851/-रुपये में ख0नं0 72/1, रकबा 5.12 एकड़ तथा ख0नं0 72/3 रकबा 0.12 एकड़ संयुक्त रूप से कय किये थे।

20— उक्त सम्बंध में प्रमाण स्वरूप वादी की ओर से नीलामी रसीद प्र0पी0-10 प्रस्तुत की गई है। उक्त रसीद के अवलोकन से यह दर्शित होता है कि, ग्राम घोटी के ख0नं0 72/1 तथा 72/3 कुल रकबा 5.24 एकड़ की नीलामी से सम्बंधित किसी रा0प्र0क्रं0 85ब-121/81-82, पक्षकार दुलीचंद व. भाई जी व

अन्य 2 में, नीलामी राशि 851/- रुपये दुलीचंद कर्षहे द्वारा अदा की गई थी। अतः रसीद प्र0पी0-10 के संदर्भ में यह प्रमाणित करने का भार वादी पर ही शेष रह जाता है कि, उक्त रसीद में नीलामी राशि 851/- रुपये अदाकर्ता के रूप में भले ही अकेले दुलीचंद के हस्ताक्षर हैं किन्तु उक्त राशि 851/- रुपये दुलीचंद के साथ ही वादी लक्ष्मण तथा स्व0 मनराखन द्वारा संयुक्त रूप से दी गई है।

21- इस संबंध में वादी की ओर से उसके मुख्त्यार केशोराव वा.सा.1 के शपथपत्रीय मुख्य परीक्षण में किये गये कथन स्वतः में विरोधाभासी हैं। मुख्य परीक्षण के पैरा 8 में उसने बताया है कि वादी तथा प्रतिवादीगण के पिता ने नीलामी में भाग लिया था तथा एक एकड़ भूमि नीलामी कर प्राप्त की थी। इसके विपरीत पैरा 13 में उसके कथन हैं कि नीलामी के पूर्व ही राशि की अदायगी तीनों ने शामिल शरीक रूप में कर दी थी जिससे नीलामी नहीं की गई न ही किसी व्यक्ति द्वारा नीलामी की बोली लगाई गई। प्रतिपरीक्षण के पैरा 35 में उक्त साक्षी के कथन हैं कि एक एकड़ भूमि कुर्क करने के आदेश थे किन्तु संपूर्ण भूमि कुर्क कर दी गई थी। अर्थात् इन बिंदुओं पर उक्त साक्षी के कथन स्पष्ट नहीं हैं।

22- तानाराम वा.सा.2 तथा दोशन वा.सा.3 ने मुख्य परीक्षण में यह तो बताया है कि राशि वादी, स्वर्गीय दुलीचंद तथा स्वर्गीय मनराखन ने मिलकर दी थी किन्तु उन्होंने अपने ज्ञान का आधार प्रकट नहीं किया है कि उन्हें कैसे ज्ञात हुआ। प्रतिपरीक्षण में भी उक्त साक्षीगण स्थिर नहीं हैं। तानाराम वा.सा.2 मुख्य परीक्षण में कहता है कि वह अधिया करता था और आधी फसल वादी लक्ष्मण को दिया करता था और प्रतिपरीक्षण के पैरा 9 में उसने कहा है कि वह प्रतिवादी कमाक 7 मोहन और वादी लक्ष्मण को फसल देता था। इसी प्रकार दोशनलाल वा.सा.3 ने प्रतिपरीक्षण के पैरा 9 में यह बताया है कि लक्ष्मण अर्थात् वादी तथा उसके भाई मनराखन एवं दुलीचंद उक्त साक्षी के सगे संबंधी रिश्तेदार नहीं हैं। उनके साथ उसकी रास्ते की मुलाकात रही है फिर उसे उक्त तथ्य की जानकारी कैसे हुई कि राशि तीनों भाइयों ने मिलकर अदा की थी, यह स्पष्ट नहीं किया गया है। ऐसी परिस्थितियां यह दर्शित करती हैं कि उक्त दोनों ही साक्षी तानाराम वा.सा.2 तथा दोशनलाल वा.सा.3 स्वाभाविक साक्षी नहीं हैं।

23- उक्त कथित तथ्य वादी लक्ष्मण के ही व्यक्तिगत ज्ञान का विषय हो सकते हैं, वही यह स्पष्ट कर सकता था कि, उक्त राजस्व प्रकरण की क्या परिस्थितियां थी ? उसने अपने हिस्से की राशि कहां से अर्जित किया था ? स्वर्गीय दुलीचंद को उक्त राशि उसने कब और कहां प्रदान की थी ? संयुक्त रूप से राशि अदा किये जाने के संबंध में पृथक से लिखापढी क्यों नहीं हुई ? नीलामी कब हुई ? बोली में कौन कौन हाजिर था या नीलामी हुई ही नहीं ? किन्तु वादी ने स्वयं को साक्ष्य हेतु उपस्थित नहीं किया है।

24- इस सम्बंध में वादी को अपने अभिवक्तियों को प्रमाणित करने के लिये सर्वप्रथम स्वयं को प्रतिपरीक्षण हेतु उपस्थित करके विपक्ष को सुसंगत बिन्दुओं पर प्रतिरक्षा का अधिकार प्रदान करना चाहिए था, किन्तु इस हेतु वह न्यायालय में

उपस्थित नहीं हुआ।

25— अवलोकनीय है कि, वादी के मुख्तार केशोराव वा0सा0-1 ने प्रतिपरीक्षण पैरा-17 में यह बताया गया है कि, मुकदमा उसके पिताजी अर्थात् वादी लक्ष्मण द्वारा पेश किया गया है। प्र0पी0-2 का मुख्तारनामा उसके पिता ने दिनांक 27/07/12 को उसके सामने न्यायालय परिसर में किया है। उक्त दस्तावेज की लिखापट्टी के समय उसके पिता अर्थात् वादी लक्ष्मण उपस्थित था। आगे पैरा-19 में उसने यह स्वीकार किया कि, दिनांक 11/04/14 को उसके पिता वादी लक्ष्मण रजिस्ट्रार कार्यालय गये थे। पैरा-31 में उक्त साक्षी ने पुनः यह स्वीकार किया है कि, उसके पिता वादी लक्ष्मण के अस्वस्थ होने के सम्बंध में उसने कोई डॉक्टरी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है। प्रतिपरीक्षण में उक्तानुसार प्रकट किये गये तथ्य यह भी दर्शित करते हैं कि, चलने फिरने, सामान्य कार्य करने में असमर्थ भी नहीं है। अतः वादी के साक्ष्य हेतु स्वयं उपस्थित न होने के सम्बंध में कोई पर्याप्त कारण दर्शित नहीं किया गया है। इस प्रकार यह प्रकट होता है कि, वादी स्वयं साक्ष्य देने के लिये सक्षम होते हुए, भी साक्ष्य हेतु उपस्थित नहीं हुआ है।

26— अवलोकनीय यह भी है कि, केशोराव वा0सा0-1 के न्यायालयीन परीक्षण के समय उक्त सम्बंध में प्रति0क्रं0-1 से 6 द्वारा स्पष्ट आपत्ति भी ली गई है, किन्तु फिर भी वादी साक्ष्य हेतु उपस्थित नहीं हुआ है। यद्यपि वादी की ओर से अपने पुत्र केशोराव वा0सा0-1 को मुख्तार बताकर उसके माध्यम से साक्ष्य दी गई है किन्तु इसे पर्याप्त नहीं माना जा सकता है। इस सम्बंध में प्रति0क्रं0-1 से 6 की ओर से प्रस्तुत न्यायदृष्टांत जानकी वाशदेव भोजवानी एवं अन्य विरुद्ध इन्डसईण्ड बैंक लिमिटेड एवं अन्य ए0आई0आर0 2005 एस0सी0 439 अवलम्बनीय है, जिसमें व्य0प्र0सं0 के आदेश 3 नियम 1 व 2 की विवेचना करते हुए, यह सामान्य विधिक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि, मुख्तारनामा धारक मुख्य (प्रिंसीपल) के होते हुए, उसके स्थान पर साक्ष्य नहीं दे सकता है। मुख्तारनामा धारक सिर्फ उन तथ्यों के सम्बंध में अपनी साक्ष्य दे सकता है। जो मुख्तारकर्ता द्वारा मुख्तारनामा के माध्यम से दिये गये अधिकारों का प्रयोग करते हुए, उसके द्वारा सम्पादित किये गये हैं।

27— प्रकरण के तथ्य एवं परिस्थितियां यह है कि, वादी के भाईयों दुलीचंद तथा मनराखन की मृत्यु हो चुकी है। वादी द्वारा यह वाद अपने उक्त भाईयों के वारसानों के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया है, जिसमें प्रति0क्रं0-1 से 6 द्वारा पूर्व में विभाजन होने के सम्बंध में भी वैकल्पिक प्रतिरक्षा ली गई है। केशोराव वा0सा0-1 ने भी ग्राम बिसोनी, लांजी तथा घोटी की जमीनों की व्यवस्था उसके पिता अर्थात् वादी लक्ष्मण तथा उनके भाईयों के बीच सन् 1986 में होना बताया है और यह भी बताया है कि, उसके आधार पर वादी तथा उनके अन्य भाई दुलीचंद तथा मनराखन के परिवार अलग-अलग मकान में रहते हुए, अपने-अपने हिस्से की जमीनों को खाते कमाते हैं। प्रति0क्रं0-1 से 6 द्वारा यह स्पष्ट अभिवचन किये गये हैं कि, वादी को यह वाद अपने भाईयों के जीवनकाल में ही सम्पूर्ण भूमियों के

हिस्सा बटवारा के सम्बंध में पारिवारिक व्यवस्था को चुनौती देते हुए प्रस्तुत करना चाहिए था। उक्त वर्णित तथ्यात्मक परिस्थितियों में यह प्रकट होता है कि, वाद में प्रतिरक्षा से सम्बंधित अनेक ऐसे प्रश्न रहे हैं जो कि, वादी के ही व्यक्तिगत ज्ञान का विषय हो सकते हैं। अतः वादी को सद्भावी तौर पर स्वयं प्रतिपरीक्षण हेतु उपस्थित होना चाहिए था ताकि प्रतिवादी पक्ष को सभी सुसंगत बिन्दुओं पर प्रतिपरीक्षण का अवसर प्राप्त हो सकेता किन्तु वादी स्वयं उपस्थित नहीं हुआ है।

28— यद्यपि प्रति0क्रं0-7 जो कि स्व0 मनराखन का पुत्र है, उसने भी अपने लिखित कथन में यह अभिवचन किये हैं कि, दुलीचंद, मनराखन तथा लक्ष्मण ने मिलकर विवादित भूमि खरीदी है किन्तु अवलोकनीय है कि, मानिकचंद प्रति0सा0-1 ने शपथ पत्रीय मुख्य परीक्षण में यह स्पष्ट कथन किये हैं कि, नीलामी के दौरान अकेले दुलीचंद ने राशि अदा कर जमीन क्रय किया था। उक्त साक्षी का न्यायालयीन अनुमति से स्वयं प्रति0क्रं0-7 द्वारा भी प्रतिपरीक्षण किया गया है किन्तु कहीं भी उक्तानुसार मुख्य परीक्षण में किये गये कथनों को कोई चुनौती नहीं दी गई है। अतः इस सम्बंध में की राशि अकेले दुलीचंद द्वारा अदा की गई थी, मानिकचंद प्रति0सा0-1, प्रति0क्रं0-7 की ओर से भी साक्ष्य में अखण्डित है।

29— उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह प्रकट होता है कि, वादी यह प्रमाणित नहीं कर सका है कि, वादग्रस्त भूमि तथा ख.नं. 72/3, रकबा 0.12 एकड़ भूमि वादी, प्रति0क्रं0-1 से 5 के पिता व प्रति0क्रं0-6 के पति दुलीचंद तथा प्रति0क्रं0-7 से 9 के पिता मनराखन ने दिनांक 30/09/1982 को नीलामी में संयुक्त रूप से क्रय किया था। अतः वादप्रश्न क्रमांक-2 का निष्कर्ष "प्रमाणित नहीं" अंकित किया गया।

-: वाद प्रश्न क्रमांक 3 की विवेचना एवं निष्कर्ष :-

30— लिखित कथन के पैरा-11 के अनुसार प्रति0क्रं0-1 से 6 की यह प्रतिरक्षा रही है कि, विवादित भूमि आपसी भाई बटवारा में प्रति0क्रं0-1 से 6 के पिता दुलीचंद को दिनांक 06/06/1987 को प्राप्त हुई है, जिसके सम्बंध में दिनांक 06/06/1987 को ही आपसी बटवारा पत्र का निष्पादन हुआ है।

31— प्रति0क्रं0-1 से 6 द्वारा उक्त कथित आपसी बटवारा दिनांक 06/06/1987 को साक्ष्य में प्र0डी0-24 तथा 25 के रूप में, प्रदर्शित किया गया है किन्तु अवलोकनीय है कि, मानिकचंद प्रति0सा0-2 ने प्रतिपरीक्षण पैरा-25 में यह स्वीकारोक्तियां की है कि, उक्त बटवारानामा में ग्राम बिसोनी, लांजी और घोटी में कितनी-कितनी जमीन है, यह बात नहीं लिखी है और यह भी उल्लेख नहीं है कि, किस भाई के हिस्से में कितनी-कितनी जमीनें हैं। आगे पैरा-27 में उक्त साक्षी ने पुनः यह स्वीकार किया है कि, प्र0डी0-24 में लिखे गये नोट के बाद मनराखन, दुलीचंद, लक्ष्मण तथा गवाहों के हस्ताक्षर नहीं है। प्र0डी0-25 में यह नहीं लिखा है कि, मनराखन और लक्ष्मण को किस-किस ग्राम की, किस-किस ख0नं0 की जमीन दी गई है।

32— मेहतर प्रति0सा0-3 को उक्त कथित बटवारानामा का साक्षी बताया गया है। उसने अपने मुख्य परीक्षण में स्वयं के सामने कथित बटवारा पत्र निष्पादित किया जाना बताया है और यह बताया है कि, प्र0डी0-24 के आपसी बटवारा पत्र की लिखापट्टी उसके सामने हुई थी। उक्त सम्बंध में प्र0डी0-25 में बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं तथा ए से ए भाग पर वादी लक्ष्मण के, सी से सी भाग पर दुलीचंद के तथा डी से डी भाग पर मनराखन के हस्ताक्षर हैं किन्तु अवलोकनीय है कि, प्रतिपरीक्षण पैरा-4 में उसने यह स्वीकार किया है कि, प्र0डी024 का दस्तावेज किसने और कहां लिखा है वह नहीं जानता। प्र0डी0-24 में जो नोट लिखाई गई है, वह उसके सामने नहीं लिखाई गई है। मनराखन, दुलीचंद और लक्ष्मण ने उसके सामने हस्ताक्षर नहीं किये थे। ख0नं0 72 की भूमि किस गांव की है, यह प्र0डी0-25 में नहीं लिखा है और भूमि का रकबा भी नहीं लिखा है। यह भी नहीं लिखा है कि, ख0नं0 72 में से कितनी जमीन दुलीचंद को दी गई है।

33— उक्तानुसार मानिकचंद प्रति0सा0-1 तथा मेहतर प्रति0सा0-3 द्वारा प्रतिपरीक्षण में की गई स्वीकारोक्तियां, कथित बटवारानामा प्र0डी0-24 तथा प्र0डी. 25 की विश्वसनीयता को संदेहपूर्ण बना देती हैं। उक्त कथित आपसी बटवारानामा के आधार पर यह नहीं माना जा सकता है कि, ख0नं0 72/1, रकबा 5.61 एकड़ भूमि का वादी, प्रति0क्रं0-1 से 5 के पिता व प्रति0क्रं0-6 के पति दुलीचंद तथा प्रति0क्रं0-7 से 9 के पिता मनराखन ने दिनांक 06/06/1987 को आपसी बटवारा कर लिया था, जिसमें विवादित भूमियां मनराखन तथा लक्ष्मण द्वारा सम्पूर्ण रूप से स्व0 दुलीचंद को प्रदान कर दी गई थी। अतः वाद प्रश्न क्रमांक-3 का निष्कर्ष "प्रमाणित नहीं" अंकित किया गया।

-: वाद प्रश्न क्रमांक 5 की विवेचना एवं निष्कर्ष :-

34— वाद प्रश्न क्रमांक-5 का निष्कर्ष वाद प्रश्न क्रमांक-4 के निष्कर्ष को प्रभावित कर सकता है। अतः वाद प्रश्न क्रमांक-5 का निराकरण वाद प्रश्न क्रमांक-4 के पहले किया जाना उचित होगा।

35— वादी के अनुसार उसे प्रति0क्रं0-1 से 6 द्वारा स्वयं के स्वत्व को नकारने की जानकारी सर्वप्रथम तब हुई जब अपील क्रमांक 16ए/2009 में न्यायालय द्वारा पारित डिक्री के आधार पर तहसील न्यायालय द्वारा राजस्व अभिलेखों में प्रति0क्रं0-1 से 6 का नामांतरण कर दिया गया। जबकि प्रति0क्रं0-1 से 6 के अनुसार वादी को इस तथ्य की जानकारी प्रारम्भ से थी कि, विवादित भूमि म0प्र0 शासन द्वारा कुर्क कर लिये जाने के बाद वर्ष 1981-82 में विवादित भूमि नीलामी में अकेले दुलीचंद द्वारा कय की गई थी और एकल आधिपत्य प्राप्त किया गया था। उसके बाद दुलीचंद अकेले विवादित भूमि पर काबिज रहा और उसकी मृत्यु के बाद उसके उत्तराधिकारीगण क्रमांक 1 से 6 काबिज हैं। वादी को व्यक्तिगत रूप से उक्त तथ्यों की जानकारी रही है, इसलिये उसने प्रति0क्रं0-1 द्वारा प्रस्तुत पूर्व व्यवहार वाद क्रमांक 12अ/2008 अपील क्रं-16ए/2009 तथा नामांतरण प्रकरण की जानकारी होते हुए भी उक्त प्रकरणों में कोई आपत्ति प्रकट नहीं की है।

36— वाद घोषणा तथा स्थायी निषेधाज्ञा हेतु है। दोनों ही अनुतोषों के सम्बंध में परिसीमा अधि० 1963 के उपबंधों के अनुसार क्रमशः अनुच्छेद 58 तथा अनुच्छेद 113 के अनुसार तीन वर्ष का परिसीमाकाल विहित है जो वादकारण उत्पत्ति दिनांक से प्रारम्भ होता है।

37— पूर्व व्यवहार वाद क्रमांक- 12अ/08 तथा अपील क्रमांक-16ए/09 के सम्बंध में वादीगण के अभिवचन हैं कि, वे उक्त प्रकरणों में पक्षकार नहीं थे। अतः उक्त प्रकरणों के परिणाम उन पर बंधनकारी नहीं है। यह सही है कि, उक्त प्रकरणों में वादी पक्षकार नहीं था। अतः अपील क्रमांक-16ए/09 में पारित डिक्री प्रत्यक्षतौर पर उस पर बंधनकारी नहीं है, किन्तु यदि उसे उक्त प्रकरणों की जानकारी रही है तो विधिक परिस्थितियां बदल जाती हैं क्योंकि अपीलीय निर्णय प्रदर्श डी.21सी के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि उक्त प्रकरण में प्रति०क्र०-1 के अभिवचनों के अनुसार, प्रति०क्र०-1 विवादित भूमि का एकमात्र स्वामी अपने पिता स्व० दुलीचंद को और उनकी मृत्यु के बाद प्रति०क्र०-1 से 6 को होना बताया था और स्वत्व की घोषणा चाहा था। ऐसी स्थिति में यदि यह साबित हो जाता है कि, वादी को उक्त प्रकरणों की जानकारी थी तब वाद कारण उसी समय से प्रारम्भ होना माना जा सकता है। परिसीमा अधिनियम की प्रयोज्यनीयता के दृष्टिकोण से यदि देखा जाये तो उक्त पूर्व निराकृत व्यवहार वाद की जानकारी होने या न होने का इसलिये कोई प्रभाव नहीं होगा क्योंकि व्यवहार वाद वर्ष 2008 का है और यह वाद वर्ष 2011 में प्रस्तुत कर दिया गया है।

38— वर्तमान वाद में वादी ने विवादित भूमि पर प्रतिवादीगण के साथ स्वयं का भी आधिपत्य होना बताया है। ऐसी स्थिति में परिसीमा सम्बंधी प्रश्न के निराकरण के लिये विवादित भूमि पर वादी के वर्तमान कब्जे के सम्बंध में निर्धारण किया जाना आवश्यक है।

39— यहां यह स्पष्ट किया जाना उचित होगा कि, वर्तमान वाद में प्रति०क्र०-7 की ओर से इस आशय के अभिवचन किये गये हैं कि, प्रति०क्र०-1 से 6 सम्पूर्ण विवादित भूमि पर काबिज नहीं है, वरन् एक एकड़ में स्व० मनराखन के उत्तराधिकारीगण अर्थात् प्रति०क्र०-7 से 9 काबिज हैं। प्रति०क्र०.7 द्वारा वाद का इस सीमा तक समर्थन किया गया है कि, विवादित भूमि म०प्र०शासन द्वारा कुर्क कर लिये जाने के बाद नीलामी के समय वादी स्व० दुलीचंद तथा स्व० मनराखन तीनों ने मिलकर नीलाम राशि अदा की थी। ऐसी स्थिति में प्रति०क्र०-1 से 6 तथा प्रति०क्र०-7 के वाद में हित, आपस में विपरीत रहे हैं। वादी और प्रति०क्र०-7 के हित समान रहे हैं किन्तु फिर भी प्रति०क्र०-7 द्वारा स्वयं को वादी के रूप में पक्षांतरित करने के की कोई कार्यवाही नहीं की गई है, न वादी सहित प्रतिवादीगण क्रमांक 1 से 6 के विरुद्ध, कोई प्रतिदावा प्रस्तुत किया गया है और न ही प्रति०क्र०1 से 6 के विरुद्ध कोई पृथक वाद प्रस्तुत कर इस वाद के साथ संयोजित करवाया गया है। ऐसी स्थिति में वर्तमान वाद में मात्र वादपत्रीय अभिवचनों की

प्रमाणिकता के सम्बंध में विवेचना की जा रही है। प्रतिपरीक्षण क्र०-7 के विवादित भूमि में से, एक एकड़ में कथित कब्जे सम्बंधी अभिवेचन तथा उसकी ओर से प्रस्तुत मौखिक साक्ष्य पर, इस निर्णय में कोई विचार नहीं किया जाना है।

40— वादी स्वयं प्रतिपरीक्षण हेतु उपस्थित नहीं हुआ है। विवादित भूमि पर कब्जे के सम्बंध में उसने अपने मुख्यार केशोराव वा०सा०-1, तानाराम वा०सा०-2 तथा दोशनलाल वा०सा०-3 की साक्ष्य में प्रस्तुत किया गया है।

41— केशोराव वा०सा०-1 ने प्रतिपरीक्षण पैरा-26 में यह बताया है कि, ग्राम घोटी में विवादित जमीन के अलावा अन्य ख०नं० की भी जमीन है, उक्त भूमियों का आपसी बटवारा उसके पिता एवं उसके भाईयों के बीच हो चुका है। प्रतिपरीक्षण के पैरा 27 में उक्त साक्षी ने यह बताया है कि विवादित भूमि पर उसके पिताजी का नाम सन 1982 से दर्ज नहीं है। नाम दर्ज करने के लिए उसके पिता अर्थात् वादी लक्ष्मण द्वारा कोई न्यायालयीन कार्यवाही नहीं की गई है। आगे उक्त साक्षी ने यह कहा है कि लांजी तहसील में नाम दर्ज करवाने के लिए कार्यवाही किये थे परंतु तहसील न्यायालय का आदेश उसके पिता अर्थात् वादी लक्ष्मण या उसने प्रस्तुत नहीं किया है। तानाराम वा०सा०-2 ने यह बताया है कि, वह वादी लक्ष्मण वगैरह की जमीन 3-4 साल तक अधिया कमाता था, जिसमें उसके द्वारा गन्ने की फसल लगाई जाती थी, उसके अधिया की आधी फसल लक्ष्मण को देता था। प्रतिपरीक्षण में वह इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाया है कि, किस वर्ष से किस तक उसने अधिया में भूमि कमाया था। उसने सामान्यतौर पर यह बताया है कि, 4-5 साल तक कमाया था।

42— उक्त वर्णित परिस्थितियों में वादी को चाहिए था कि, वह स्वयं साक्ष्य हेतु उपस्थित होता तथा अपने व्यक्तिगत ज्ञान की इन बातों को, प्रतिपरीक्षण में स्पष्ट करता कि, जब अन्य सभी भूमियों का उसके तथा उसके भाईयों के मध्य बटवारा हो गया था और सभी अलग-अलग काबिज चले आ रहे हैं तो कथित तौर पर शामिल सरीक इस विवादित भूमि का आपसी बटवारा किन परिस्थितियों में नहीं हुआ था ? विवादित भूमि के संबंध में कथित तौर पर तहसीलदार द्वारा किया गया वह आदेश जो कि केशोराव वा.सा.1 ने प्रतिपरीक्षण के पैरा 28 में उल्लेखित किया है वह इस प्रकरण में प्रस्तुत क्यों नहीं किया गया ? वह किस वर्ष से किस वर्ष तक तानाराम वा०सा०-2 के माध्यम से काबिज रहा है, उसे विवादित भूमि से फसल मिलना किस वर्ष से बंद हुई? किन्तु वादी साक्ष्य हेतु स्वयं उपस्थित नहीं हुआ है।

43— इस स्तर पर पुनः न्यायदृष्टांत न्यायदृष्टांत जानकी वाशदेव भोजवानी एवं अन्य विरुद्ध इन्डसईण्ड बैंक लिमिटेड एवं अन्य ए०आई०आर० 2005 एस०सी० 439 में प्रतिपादित यह वाद विधि अवलम्बनीय है कि, वादी को अपना मामला स्वयं प्रमाणित करना होता है। वह मुख्यारखास के माध्यम से उन बिन्दुओं पर साक्ष्य नहीं दे सकता है जो कि वादी के व्यक्तिगत ज्ञान का विषय हो सकते हैं।

44— मानिकचंद प्रति0सा0-1 ने शपथपत्रीय मुख्य परीक्षण में यह बताया है कि, विवादित भूमि के भाग पर शासकीय स्कूल का निर्माण हो चुका है जिसके सम्बंध में उसने घोषणा तथा आदेशात्मक निषेधाज्ञा हेतु पूर्व वाद प्रस्तुत किया था। प्रतिपरीक्षण में स्कूल निर्माण हो जाने सम्बंधी कथन को कोई चुनौती नहीं दी गई है। अतः यह प्रमाणित है कि, विवादित भूमि के कुछ अंशभाग पर शासकीय हाईस्कूल का निर्माण हुआ है। वादी ने अपने वादपत्रीय अभिवचनों में उक्त हाईस्कूल के निर्माण के सम्बंध में कोई अभिवचन नहीं किये गये हैं। ऐसी स्थिति में यह प्रकट होता है कि, वादी ने वाद पत्र में विवादित भूमि पर सम्पूर्ण विवरण प्रकट नहीं किया है। विवादित भूमि का सही विवरण प्रस्तुत न करना तथा वादी का स्वयं प्रतिपरीक्षण हेतु उपस्थित न होना यह दर्शित करता है कि, वह अपनी कमियाँ को छुपाने के लिये तथा प्रतिरक्षा से सम्बंधित सुसंगत प्रश्नों का उत्तर देने के लिये प्रतिपरीक्षण हेतु स्वयं उपस्थित नहीं हुआ है।

45— उक्त वर्णित परिस्थितियों में, कब्जे के सम्बंध में वादी द्वारा किये गये यह अभिवचन प्रमाणित नहीं माने जा सकते हैं कि, सम्पूर्ण विवादित भूमि पर प्रतिवादीगण के साथ उसका संयुक्त आधिपत्य है। इसके विपरीत यह अनुमान उत्पन्न होता है कि वादी का, विवादित भूमि पर आधिपत्य नहीं है किन्तु उसने वाद को परिसीमाकाल के अंतर्गत लाने के लिये वादकारण के सम्बंध में यह बनावटी कथन किये हैं कि, वाद कारण दिनांक 30/06/11 को तथा दिनांक 10/07/2011 को तब उत्पन्न हुआ जब विवादित भूमि पर प्रति0क्रं0-1 का नाम दर्ज किये जाने के आदेश पारित कर दिया गया तथा प्रति0क्रं0-1 द्वारा भूमि स्वयं की होना कथन कर वादी को बेदखल करने की धमकी दी जाने लगी। अस्तु वादप्रश्न क्रमांक-5 का निष्कर्ष "अप्रमाणित" अंकित किया गया।

—: वाद प्रश्न क्रमांक 4 की विवेचना एवं निष्कर्ष :-

46— इस सम्बंध में वादपत्रीय पैरा-11 के अनुसार वादी के यह अभिवचन हैं कि, प्रति0क्रं0-1 द्वारा उसे यह धमकी दी गई है कि, वह विवादित भूमि से वादी को बेदखल कर देगा तथा भूमि को अन्य किसी व्यक्ति को विक्रय कर देगा। प्रथमतः तो यह अवलोकनीय है कि, विवादित भूमि पर वादी का आधिपत्य नहीं होना पाया गया है। ऐसी स्थिति में यह स्वभाविक नहीं माना जा सकता है कि, प्रति0क्रं0-1 उसे विवादित भूमि से बेदखल कर, विवादित भूमि अन्य किसी व्यक्ति को अवैध रूप से अंतरित करने प्रयासरत है। अतः वादप्रश्न क्रमांक-4 का निष्कर्ष "प्रमाणित नहीं" अंकित किया गया।

—: वाद प्रश्न क्रमांक 6 की विवेचना एवं निष्कर्ष :-

47— वर्तमान वाद उद्घोषणा तथा स्थायी निषेधाज्ञा के पारिणामिक अनुतोष हेतु प्रस्तुत किया गया है, जिसमें विवादित भूमि कृषि भूमि है। न्यायालय शुल्क अधिनियम की धारा 7(4)(सी) के अनुसार ऐसे अनुतोष के सम्बंध में वादी को अपने अनुतोष का मूल्यांकन करने की स्वतंत्रता होती है। ऐसी स्थिति में कृषि भूमि के

सम्बंध में घोषणा तथा स्थायी निषेधाज्ञा हेतु किया गया मूल्यांकन कमशः दो हजार रुपये तथा एक हजार रुपये तथा उस पर अदा की गई न्यायालय शुल्क पर्याप्त प्रकट होती है। वाद मूल्यांकन अधिनियम 1887 की धारा 8 के अनुसार ऐसे प्रकरण में न्यायालय शुल्क के प्रयोजन से किया गया मूल्यांकन ही, वाद के मूल्यांकन के प्रयोजन से किया जा सकता है। अतः यह प्रकट होता है कि, वाद मूल्यांकन उचित किया जाकर, न्यायालय शुल्क उचित अदा किया गया है। अतः वादप्रश्न क्रमांक-6 का निष्कर्ष "प्रमाणित नहीं" अंकित किया।

-: वाद प्रश्न क्रमांक 7 की विवेचना एवं निष्कर्ष :-

48- वर्तमान वाद में वादी को सर्वाधिक विपरीत प्रभाव इस बात का हुआ है कि, वह स्वयं प्रतिपरीक्षण हेतु उपस्थित नहीं हुआ है, किन्तु पक्षकारों की आपसी रिश्तेदारी, विवादित भूमि को सर्वप्रथम वादी तथा उसके भाईयों स्व० दुलीचंद तथा स्व० मनराखन द्वारा मिलकर क्रय किया जाना आदि परिस्थितियां यह दर्शित करती हैं कि, वाद को पूर्णतः मिथ्या आधारों पर या किसी व्यक्तिगत दुर्भावना के कारण प्रस्तुत किया जाना, मान लिया जाना उचित नहीं होगा। मात्र वाद प्रस्तुत किये जाने से प्रतिवादी पक्ष को कोई विशेष असुविधा परेशानी या पीड़ा हुई हो ऐसा प्रतिवादीगण ने साक्ष्य के माध्यम से प्रमाणित नहीं किया है। मात्र इस आधार पर कि, प्रतिवादीगण ने वाद में स्वयं की प्रतिरक्षा की है, वे भले ही वादी से वाद व्यय प्राप्त करने के अधिकारी हो सकते हैं, किन्तु किसी विशेष क्षति के अभाव में यह नहीं माना जा सकता है कि, प्रति०क्र०-1 से 6 वादी के विरुद्ध पृथक से कोई प्रतिकारात्मक व्यय प्राप्त करने के अधिकारी हैं। अतः वादप्रश्न क्रमांक-7 का निष्कर्ष "अप्रमाणित" अंकित किया।

वादप्रश्न क्रमांक 8 की विवेचना एवं निष्कर्ष

49- प्रतिवादी क्रमांक 2 से 6 तथा प्रतिवादी क्रमांक 7, 8 एवं 9 को पूर्व व्यवहार वाद क्रमांक 12अ/08 में पारित अंतिम निर्णय की भली भांति जानकारी हो चुकी है किन्तु फिर भी उनके द्वारा उक्त निर्णय को सक्षम विधिक कार्यवाही के माध्यम से कोई चुनौती नहीं दी गई है।

50- व्यवहार अपील क्रमांक 16अ/09 पक्षकार मानिकचंद विरुद्ध सरपंच व अन्य की आज्ञाप्ति दिनांक 16.2.2010 को इस आधार पर वादी ने शून्य होना बताया है कि उक्त वाद के वादी अर्थात् इस वाद के प्रतिवादी क्रमांक 1 मानिकचंद ने, वादी को आवश्यक पक्षकार होते हुए भी पूर्व वाद में पक्षकार नहीं बनाया था और उक्त डिक्री प्रतिवादी क्रमांक 1 ने कपटपूर्वक प्राप्त की थी। वादी के अभिवचनों के अनुसार उक्त पूर्व वाद में प्रतिवादी क्रमांक 1 ने यह असत्य अभिवचन किये थे कि विवादित भूमि मात्र उसके पिता स्वर्गीय दुलीचंद द्वारा नीलामी में क्रय की गई थी किन्तु अवलोकनीय है कि वर्तमान वाद में भी वादी यह प्रमाणित नहीं कर सका है कि नीलामी में भूमि अकेले स्वर्गीय दुलीचंद द्वारा नहीं खरीदी गई थी वरन उसका भी योगदान था। वह यह भी प्रमाणित नहीं कर सका है कि विवादित भूमि

पर वर्ष 2008 में उसका आधिपत्य था या वर्तमान में आधिपत्य है। ऐसी स्थिति में यह प्रकट होता है कि वादी कथित कपट को प्रमाणित नहीं कर सका है। ऐसी स्थिति में मात्र इस आधार पर कि वादी उक्त वाद में पक्षकार नहीं है, यह नहीं माना जा सकता है कि व्यवहार वाद क्रमांक 12अ/08 में अपील क्रमांक 16अ/09 के माध्यम से पारित अंतिम निर्णय अवैध एवं शून्य है।

51— जहां तक राजस्व प्रकरण क्रमांक 34अ-6/09-10 में पारित आदेश दिनांक 30.9.2010 का प्रश्न है, तब यह अवलोकनीय है कि उक्त राजस्व प्रकरण में पारित उक्त आदेश सिविल न्यायालय के निर्णय एवं डिक्री पर आधारित है और जब तक उक्त पूर्व व्यवहार वाद क्रमांक 12अ/08 तथा सिविल अपील क्रमांक 16अ/09 में पारित निर्णय एवं डिक्री किसी सक्षम न्यायालय द्वारा अपास्त नहीं कर दी जाती है तब तक यह माना जावेगा कि उक्त निर्णय एवं डिक्री प्रभावशील हैं। अतः उसके आधार पर राजस्व प्रकरण में किया गया आदेश दिनांक 30.9.10 भी अवैध एवं शून्य नहीं माना जा सकता है। अतः वादप्रश्न क्रमांक 8 का निष्कर्ष "प्रमाणित नहीं" अंकित किया गया।

सहायता एवं व्यय :-

52— उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह स्पष्ट है कि, वादी यह तो प्रमाणित करने में सफल रहा है कि, विवादित भूमि मूलतः दिनांक 08/05/1964 को वादी प्रति0क्रं0-1 से 5 के पिता स्व0 दुलीचंद व प्रति0क्रं0-6 के पति स्व0 दुलीचंद तथा प्रति0क्रं0-7 से 9 के पिता स्व0 मनराखन ने, मेहमूदा बेगम से संयुक्त रूप से कय किया था किन्तु वादी स्वयं के इन अभिवचनों को अधिसम्भाव्यता की प्रबलता के स्तर तक प्रमाणित करने में असफल रहा है कि, विवादित भूमियां म0प्र0 शासन द्वारा कुर्क कर लिये जाने के बाद नीलाम किये जाने पर उसने स्व0 दुलीचंद तथा स्व0 मनराखन के साथ संयुक्त रूप से कय की थी। वादी यह भी प्रमाणित नहीं कर सका है कि, विवादित भूमि पर उसका प्रतिवादीगण के साथ संयुक्त आधिपत्य है। ऐसी स्थिति में वाद का अवधि में होना भी अप्रमाणित रहा है। अतः यह नहीं माना जा सकता है कि, विवादित सम्पत्ति ख0नं0 72/1, रकबा 5.12 एकड़ तथा खं0नं0 72/3 रकबा 0.12 एकड़ वादी तथा प्रतिवादीगण की संयुक्त मालिकी एवं कब्जे की भूमि है तथा उक्त वर्णित भूमियों में वादी का 1/3 हक व हिस्सा है। अतः वाद खारिज कर निम्नानुसार डिक्रीत किया जाता है—

1— ग्राम घोट्टी प0ह0नं0 20, रा0नि0मं0 लांजी स्थित कृषि भूमि ख0नं0 72/1 रकबा 5.12 एकड़ तथा ख0नं0 72/3 रकबा 0.12 एकड़ भूमि के सम्बंध में प्रतिवादीगण के साथ संयुक्त स्वामित्व एवं आधिपत्य तथा वादी का उक्त वर्णित भूमि में 1/3 हिस्सा होने की घोषणा तथा भूमि का अन्य अंतरण न किये जाने सम्बंधी स्थायी निषेधाज्ञा हेतु प्रस्तुत किया गया यह वाद खारिज किया गया।

2— वादी स्वयं का तथा प्रतिवादीगण का भी वाद व्यय स्वयं वहन करेगा।

3-अधिवक्ता शुल्क प्रमाणित होने पर या सूची अनुसार या दोनों में से जो भी कम हो, वादव्यय में जोड़ी जावे।

तदनुसार डिक्री बनायी जावे।

निर्णय हस्ताक्षरित व दिनांकित कर,
खुले न्यायालय में घोषित किया गया
सही / -18 / 04 / 16
(सचिन ज्योतिषी)
द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2,
बालाघाट

मेरे बोलने पर टंकित।
सही / -18 / 04 / 16
(सचिन ज्योतिषी)
द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2,
बालाघाट